(ग) क्या सरकार ने ओवर ड्राफ्ट के रूप में ली गई रकम को अदा करने के बारे में कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक में राज्यों के अपने खातों में ओवरड्राफ्टों तारीख विशेष से संबंधित होते हैं और प्रतिदिन बदलते रहते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित राज्यों ने अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक में अपने-अपने खातों में ओवरड्राफ्ट लिया है (जम्मू-कश्मीर और सिक्किम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लैन देन नहीं किया जाता) :-

1. असम
2. बिहार
3. गोवा
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. कर्नाटक
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. मणिपुर
11. मेघालय
12. मिजोरम
13. नागालैण्ड
14. उड़ीसा
15. तमिलाडु
16. त्रिपुरा
17. पश्चिम बंगाल

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.12.1993 को भी राज्य ओवरड्राफ्ट में नहीं था।

(ख) किसी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ओवरड्राफ्ट की राशि के संबंध में कोई सीमा नहीं है। तथापि, ओवरड्राफ्ट विनियन अधिनियम के अनुसार कोई राज्य 10 लगातार कार्य दिवसों तक ओवरड्राफ्ट में रह सकता है (31-10-1993 तक यह सीमा लगातार कार्य दिवसों की थी)

(ग) यह मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि व अपने-अपने ओवरड्राफ्ट को पूरा करें। तथापि, जब कोई राज्य भारतीय रिजर्व बैंक बैंक में अपने खाते में ओवरड्राफ्ट की स्थिति में रहता है तो वित्त मंत्रालय केन्द्र के संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उस राज्य की हकदारियों को अग्रिम रूप से जारी करके उसे अपने ओवरड्राफ्ट को पूरा करने में सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। इस सहायता के बावजूद भी यदि कोई राज्य भारतीय रिजर्व बैंक में अपने खाते में लगातार 10 कार्य दिवस से अधिक अवधि तक ओवरड्राफ्ट की स्थिति में रहता है तो भारतीय रिजर्व बैंक, ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना के अनुसार उस राज्य की ओर से भुगतान बंद कर देता है।

ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण

435. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण बैंकों को उनके जिले के प्रमुख बैंकों के साथ विलय करने का भी विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर.बी.) के पुनर्गठन के लिये परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन.आर.बी.आई.) की स्थापना के प्रस्ताव सहित कई

वैकल्पिक माडलों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के परामर्श से विचार किया गया है। संसद सदस्यों और आर.आर.बी. कर्मचारियों के संघों इत्यादि ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। वित्त मंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों की राय जानने के लिये दिनांक 7-10-93 को उनके साथ एक बैठक आयोजित की थी। उनके द्वारा दिये गये सुझावों की सरकार सक्रिय रूप से जांच कर रही है। तथापि, अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Issuing of Blank Travellers Cheques by the SBI in violation of banking

436. SHRI G. G. SWELL.
SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that blank travellers cheques worth over Rs. 15 lakh dollars in foreign currency were issued by the New Delhi Main Branch of State Bank of India to the attache (Finance) of the Libyan People's Bureau in Delhi;

(b) if so whether issuance of such blank travellers cheques by the State Bank of India is in violation of the banking norms/rules; and

(c) what are the implications involved and what are the reasons for issuing blank travellers cheques?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHHMED): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Review of State Financial Corporation Act

437. SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that following certain serious impliations by lowing certain serious implications by the State Financial Corporation and Small Industrial Developmental Corporation Government propose to make a Comprehensive review of the State Financial Corporation Act;

(b) if so what are the areas having serious implications to follow the policy initiative by the State Financial Corporation and Small Industrial Development Corporation; and

(c) what changes are proposed to be made in the Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHHMED): (a) to (c) The State Financial Corporation Act, 1951 has been in operation for over four decades. With the changing environment State Financial Corporation (SFCs) need to reorient their outlook, business-mix and ability to raise resources for their expanding operations. Some weak SFCs also need restructuring and strengthening of their management/organisation. The Government has recently set up a Committee under the chairmanship of Chairman and Managing Director of the Industrial Development Bank of India (IDBI) to undertake a review of the SFCs Act.

Rise in the Quantum of External aid

438. SHRI ANANT RAM JAISWAL.
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) to what extent the amount of external aid has risen from 1990-91 to 1992-93;